

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक / कर्म.उपस्थिति / 46 / 2017 / 2520


दिनांक :- 23/2/17

## परिपत्र

प्रायः देखा गया है कि मण्डल मुख्यालय में पदस्थापित अधिकारी एवं कर्मचारी कार्यालय समय पर कार्यालय नहीं आते हैं, और कार्यालय समय समाप्ति से पूर्व ही अपने नियंत्रक अधिकारी की बगैर अनुमति के ही कार्यालय से चले जाते हैं। इसे मण्डल प्रशासन द्वारा गम्भीरता से लिया गया है।

अतः मण्डल मुख्यालय में पदस्थापित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे कार्यालय समय प्रातः 9:30 बजे कार्यालय में उपस्थित होंगे एवं कार्यालय समाप्ति समय सांय 6:00 बजे से पूर्व कार्यालय नहीं छोड़ेंगे। विशेष परिस्थितियों में अपने नियंत्रक अधिकारी के माध्यम से प्रशासन के ध्यान में लाया जाकर ही कार्यालय छोड़ेंगे।

उक्त निर्देशों की अवहेलना किये जाने पर संबंधित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जावेगी।

  
23.02.17  
(विश्व मोहन शर्मा)  
सचिव

## प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष / आवासन आयुक्त / मुख्य अभियन्ता-मु0 / 1 / 11, रा0आ0म0, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव / वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी, रा0आ0म0, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम / तृतीय, रा0आ0म0, जयपुर।
4. निदेशक विधि / मुख्य संपदा प्रबन्धक / अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक / विशेषाधिकारी (भूमि) / सहायक निदेशक (जनसंपर्क) / संपदा प्रबंधक भूमि / संपदा प्रबंधक (अभिलेख) / वरिष्ठ लेखाधिकारी (भुगतान), रा0आ0म0, जयपुर।
5. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)..... Computer....., रा0आ0म0, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक